



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1946 (श10)
(सं0 पटना 991) पटना, बुधवार, 9 अक्टूबर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
9 अक्टूबर 2024

अधिसूचना संख्या 9/2024-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 459, दिनांक 9 अक्टूबर 2024--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 उप- धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 556, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (2), (3) और (4) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5कख	आवासीय आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं।	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति .”

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-20) 09]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 अक्टूबर 2024

एस० ओ० 459, दिनांक 9 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-20) 09]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th October 2024

Notification No. 9/2024-State Tax (Rate)

S.O. 459, Date *the 9th October 2024*--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 556, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 5AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5AB	Service by way of renting of any property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person."

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 09]

By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 991-571+10-डी०टी०पी० ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>